

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1548 / 2010 / भरतपुर

मैसर्स शकुन्तला स्टोन्स,
जी-57ए, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बयाना
बनाम

.....अपीलार्थी

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट द्वितीय, मु० बयाना, वृत-बी, भरतपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित :

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के.बैद,

.....प्रत्यर्थी की ओर से

उप राजकीय अभिभाषक

दिनांक : 02 / 04 / 2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, मु० बयाना, वृत-बी, भरतपुर (जिसे आगे “कर निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे “केन्द्रीय अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 9 एवं राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे “वैट अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 24(2) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 25.03.2010 के विरुद्ध मूलतः उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो अपीलीय अधिकारी के यहां अपील संख्या 149 / 2010-11 के रूप में पंजीबद्ध की गई थी, परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए(2) एवं (3) व धारा 18ए के प्रकाश में राज्य की उच्चतम अपीलीय ऑथोरिटी (Highest Appellate Authority of State) का क्षेत्राधिकार होने के कारण राजस्थान कर बोर्ड को स्थानान्तरित की गई है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2007-08 में स्टोन कटिंग का जॉब वर्क अपने ट्रेडिंग अकाउण्ट में घोषित किया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी को उक्त जॉब वर्क के संबंध में “एफ” फॉर्म पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार करते हुए जॉब वर्क के संबंध में “एफ” फॉर्म प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप जॉब वर्क प्राप्तियों की राशि रूपये 22,85,440/- को अन्तर्राज्यीय विक्रय मानते हुए इस पर केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 सपष्टित वैट अधिनियम की धारा 24(2) के तहत कर निर्धारण सम्पूरित करते हुए रूपये 2,85,680/- का कर तथा रूपये 77,830/- का ब्याज आरोपित किया गया (अपील मेमोरेण्डम के साथ संलग्न कर निर्धारण आदेश पर दिनांक का कॉलम रिक्त है)। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यक्ति होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए(2) एवं (3) व धारा 18ए के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान कर बोर्ड का क्षेत्राधिकार मानते हुए यहां स्थानान्तरित / प्रेषित की है।

निरन्तर.....2

31

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने प्रारम्भिक ऐतराज उठाते हुए प्रकरण में अपील सम्बन्धी क्षेत्राधिकार अपीलीय अधिकारी का ही बताते हुए कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण केन्द्रीय अधिनियम की धारा 18ए के प्रभाव में आने से पूर्व का अर्थात् वर्ष 2007–08 का है। यह भी कथन किया कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 18ए के तहत वे प्रकरण ही राज्य के उच्चतम अपीलीय ऑथोरिटी (Highest Appellate Authority of State) के समक्ष अपील क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत किये जा सकते हैं, जिनमें केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए(2) या 6ए(3) के तहत ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किये गये हो।
4. उन्होंने केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए(2) की ओर ध्यान आकृष्ट कर कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में घोषणा प्रपत्र—“एफ” प्रस्तुत नहीं होने संबंधी प्रकरण है, न कि प्रस्तुत घोषणा पत्र “एफ” मिथ्या या कूटरचित पाये जाने से संबंधित है, अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण पर अपीलीय अधिकार अपीलीय अधिकारी का ही है न कि राजस्थान कर बोर्ड का तथा ऐसी स्थिति में उक्त अपील का निस्तारण अपीलीय अधिकारी के स्तर पर ही किया जाना चाहिए था। अपने इस कथन के समर्थन में उन्होंने राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा Steel Authority of India Vs. Assistant Commissioner के प्रकरण (अपील संख्या 578/2011/जयपुर निर्णय दिनांक 07.03.2014) तथा एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 1566/2010/जयपुर मैसर्स नीरज इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी निर्णय दिनांक 09.03.2016, अपील संख्या 1530 से 1533/2010/भरतपुर मैसर्स बंसल इण्डस्ट्रीज बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी निर्णय दिनांक 07.02.2017 को उद्धरित किया। इन आधारों पर अपील में क्षेत्राधिकार अपीलीय अधिकारी का बताते हुए उन्होंने प्रस्तुत प्रकरण पुनः अपीलीय अधिकारी को प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया।
5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय स्तर पर लम्बित ऐसी अपीलें जिनमें केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए(2) तथा (3) तथा धारा 18ए में हुए संशोधन के परिप्रेक्ष्य में विभागीय निर्देशानुसार उक्त अपील राज्य की उच्चतम अपीलीय ऑथोरिटी—राजस्थान कर बोर्ड को स्थानान्तरण की गई है। तथापि उनका कथन है कि प्रकरण यदि इन धाराओं के अनुरूप नहीं है तो माननीय कर बोर्ड उचित समझे तो प्रकरण अपीलीय अधिकारी को स्थानान्तरित करने में कोई ऐतराज नहीं है।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अध्ययन किया गया। केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों को ध्यानपूर्वक देखने से यह स्पष्ट होता है कि अन्तर्राज्यीय व्यापार क्रम में विक्रय से अन्यथा माल के स्थानान्तरण के प्रमाण स्वरूप CST Registration & Turnover) Rules, 1957 के नियम 12(5) में यथानिर्दिष्ट फॉर्म “एफ” प्रस्तुत करने के संबंध में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6A(1) में दिनांक 11.05.2002 से प्रभावी संशोधन के द्वारा ऐसे प्रकरणों में घोषणा पत्र “एफ” की प्रस्तुति बाध्यकारी बनाते हुए इस धारा में निम्नलिखित उपबंध जोड़ा गया था –

निरन्तर.....3

"and if the dealer fails to furnish such declaration, then the movement of goods shall be deemed for all purpose of this Act to have been occasioned as a result of sale"

7. इसी प्रावधान के अनुरूप उपधारा (2) भी प्रावधित की गई थी। उपधारा (2) के तहत किये गये माल स्थानांतरण में परिणामस्वरूप जिस राज्य को माल का स्थानांतरण हो रहा है, उस राज्य में विक्रय पर स्थानीय कराधान अधिनियम के तहत कर चुकाया जाता है, लेकिन यदि इस प्रकार का स्थानांतरण जांच में गलत पाया जाकर अंतर्राज्यीय विक्रय पाया जाता है तो जिस राज्य से माल का संचालन (movement) होता है, वह राज्य धारा 3(ए) के तहत करारोपण करता है। ऐसी स्थिति में एक ही विक्रय पर केन्द्रीय अधिनियम के तहत देय 'केन्द्रीय विक्रय कर' तथा माल प्राप्ति राज्य में 'स्थानीय कर', दोनों आरोपित हो जाते हैं। ऐसे दोहरे करारोपण के प्रकरणों में संव्यवहारों की विधिक प्रकृति निर्धारण हेतु केन्द्रीय अधिनियम की धारा 19 में संशोधन करते हुए 'Authority to settle inter-State disputes falling under section 6A read with section 9' संबंधी प्रावधान दिनांक 10.09.2004 से प्रभावी किये गये हैं।
8. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा जॉब वर्क किया जाकर कुछ माल अन्य राज्यों को भेजा गया था, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त माल राजस्थान राज्य से विक्रय से भिन्न तरीके से स्थानांतरण होने के कारण इसके समर्थन में घोषणा पत्र "एफ" प्रस्तुत करने हेतु अपीलार्थी को निर्देशित किया तथा वांछित घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में इस विक्रय को अन्तर्राज्यीय विक्रय मानकर इस पर केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत करारोपण किया गया है। उल्लेखनीय है कि धारा 6ए(2) में ऐसे प्रकरण ही आच्छादित होते हैं जिनमें कि प्रस्तुत किये गये घोषणा पत्र "एफ" सही नहीं पाये गये हो अर्थात् वे मिथ्या या कूटरचित हों। प्रस्तुत प्रकरण चूंकि घोषणा पत्र "एफ" के मिथ्या, कूटरचित या जाली होने से संबंधित नहीं है, अतः ऐसे प्रकरण में अपील केन्द्रीय अधिनियम की धारा 18ए में यथा उल्लेखित राज्य की उच्चतम अपीलीय ऑथोरिटी के समक्ष न होकर राज्य अधिनियम में यथा वर्णित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी तथा उसके द्वारा ही इसे निर्णीत किया जायेगा।
9. इस संबंध में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स ट्रॉपिकेना ब्रेवरेजेज बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक (2012) 54 VST 472 के प्रकरण में दिया गया निर्णय उल्लेखनीय है, जिसके सन्दर्भित अंश निम्न प्रकार है :—

"The said provision has no application to a case where the assessee claims exemption and to substantiate the said claim, he does not produce form F. The enquiry that is contemplated under sub-section (2) of section 6A is an enquiry regarding the correctness of the particulars contained in the declaration. When there is no form F, the question of conducting an enquiry to find out the

31

मिरन्तर.....4

correctness of the question of conducting an enquiry to find out the correctness of the particulars contained in the said form did not arise....."

"..... However the impugned order saying that the appeal which is validly preferred against an order under section 9(2) of the Act as not maintainable in view of insertion of section 18A(1) of the Act is not proper."

10. उक्त विवेचन के प्रकाश में यह निर्णीत किया जाता है कि तदसमय विद्यमान प्रावधानों के आलोक में प्रकरण में "एफ" फॉर्म प्रस्तुत नहीं होने की दशा में कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की जाने वाली अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष ही प्रस्तुत की जायेगी। इसी प्रकार की व्यवस्था राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 578/2011/जयपुर निर्णय दिनांक 07.03.2014 तथा एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 1566/2010/जयपुर मैसर्स नीरज इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी निर्णय दिनांक 09.03.2016, अपील संख्या 1530 से 1533/2010/भरतपुर (निर्णय दिनांक 07.02.2017) मैसर्स बंसल इण्डस्ट्रीज बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के निर्णयों में दी गई है। अतः हस्तगत अपील अपीलीय अधिकारी को लौटाई जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्राथमिकता के आधार पर इसकी सुनवाई की जाकर गुणावगुण के आधार पर तीन माह में विधिसम्मत आदेश पारित करे।
11. परिणामस्वरूप प्रकरण में प्रारम्भिक ऐतराज (preliminary objection) को स्वीकार करते हुए यह अपील अपीलीय अधिकारी को विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु लौटाई जाती है।
12. निर्णय सुनाया गया।

३।
०५.०५.२०१८
(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य